oliveboard

FREE
eBOOK

भारतीय संविधान

भाग, मौलिक अधिकार और अनुसूचियां

स्टेटिक जीके सामान्य जागरूकता खंड का एक अभिन्न अंग है। **भारतीय संविधान - भाग, मौलिक अधिकार और अनुसूचियां** से संबंधित प्रश्न - एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, आरआरबी एएलपी, आरआरबी समूह 'ग', यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं के सामान्य जागरूकता खंड में साधारणतय पूछे जाते है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में, केवल 1 अंक से बहुत फर्क पड़ सकता है। आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने के लिए, हम आपके लिए **भारतीय संविधान - भागों, मौलिक अधिकारों और अनुसूचियों** पर एक निःशुल्क ई-बुक लेकर आए हैं। ई-बुक के निम्नलिखित पृष्ठ उन सभी को सूचीबद्ध करते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखना बहुत आवश्यक है: **भारतीय संविधान - भाग, मौलिक अधिकार और अनुसूचियां**।

नमूना प्रश्न:

Q. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित हैं? (एसएससी सीजीएल 2013)

A. IV
B. IV A
C. IV B
D. V

सही उत्तर (B)

Q. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता अधिकार से संबंधित है? (एसएससी सीजीएल 2016)

A. अनुच्छेद 13
B. अनुच्छेद 14
C. अनुच्छेद 15
D. अनुच्छेद 17

सही उत्तर (B)

भारतीय संविधान के अंग

भाग	अनुच्छेद	विषय
भाग I	अनुच्छेद 1 से 4	संघ और उसके क्षेत्र
भाग II	अनुच्छेद 5 से 11	नागरिकता
भाग III	अनुच्छेद 12 से 35	मूलभूत अधिकार
भाग IV	अनुच्छेद 36 से 51	राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भाग IV क	अनुच्छेद 51 क	मूल कर्तव्य
भाग V	अनुच्छेद 52 से 151	**संघ** अध्याय I.- कार्यपालिका(अनुच्छेद 52 से 78) अध्याय II.- संसद(अनुच्छेद 79 से 122) अध्याय III.- राष्ट्रपति के विधायी अधिकार(अनुच्छेद 123) अध्याय IV.- संघ न्यायपालिका(अनुच्छेद 124 से 147) अध्याय V.- भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार(अनुच्छेद 148 से 151)
भाग VI	अनुच्छेद 152 से 237	**राज्य** अध्याय I.- सामान्य(अनुच्छेद 152) अध्याय II.- कार्यपालिका(अनुच्छेद 153 से 167) अध्याय III.- राज्य विधानमंडल(अनुच्छेद 168 से 212) अध्याय IV.- राज्यपाल के विधायी अधिकार(अनुच्छेद 213) अध्याय V.- राज्यों के उच्च न्यायालय(अनुच्छेद 214 से 232) अध्याय VI.- अधीनस्थ न्यायालय(अनुच्छेद 233 से 237)
भाग VII		प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य
भाग VIII	अनुच्छेद 239 से 242	संघ राज्य क्षेत्र
भाग IX	अनुच्छेद 243 से 243 o	पंचायत
भाग IX क	अनुच्छेद 243p से 243ZG	नगरपालिकाएं
भाग IX ख	अनुच्छेद 243H से 243 ZT	सहकारी संस्थाएं
भाग X	अनुच्छेद 244 से 244 क	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र

भाग XI	अनुच्छेद 245 से 263	**संघ और राज्यों के बीच संबंध** अध्याय I.- विधायी संबंध(अनुच्छेद 245 से 255) अध्याय II.- प्रशासनिक संबंध(अनुच्छेद 256 से 263)
भाग XII	अनुच्छेद 264 से 300A	**वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद** अध्याय I.- वित्त(अनुच्छेद 264 से 291) अध्याय II.- उधार(अनुच्छेद 292 से 293) अध्याय III.- संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद(अनुच्छेद 294 से 300) अध्याय IV.- संपत्ति का अधिकार(अनुच्छेद 300A)
भाग XIII	अनुच्छेद 301 से 307	भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम
भाग XIV	अनुच्छेद 308 से 323B	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
भाग XIV A	अनुच्छेद 323 से 323B	अधिकरण
भाग XV	अनुच्छेद 324 से 329A	निर्वाचन
भाग XVI	अनुच्छेद 330 से 342	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
भाग XVII	अनुच्छेद 343 से 351	राजभाषा अध्याय I.- संघ की भाषा(अनुच्छेद 343 से 344) अध्याय II.- क्षेत्रीय भाषाएं(अनुच्छेद 345 से 347) अध्याय III.- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा(अनुच्छेद 348 से 349) अध्याय IV.-विशेष निर्देश(अनुच्छेद 350 से 351)
भाग XVIII	अनुच्छेद 352 से 360	आपात उपबंध
भाग XIX	अनुच्छेद 361 से 367	प्रकीर्ण
भाग XX	अनुच्छेद 368	संविधान के संशोधन
भाग XXI	अनुच्छेद 369 से 392	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
भाग XXII	अनुच्छेद 393 से 395	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

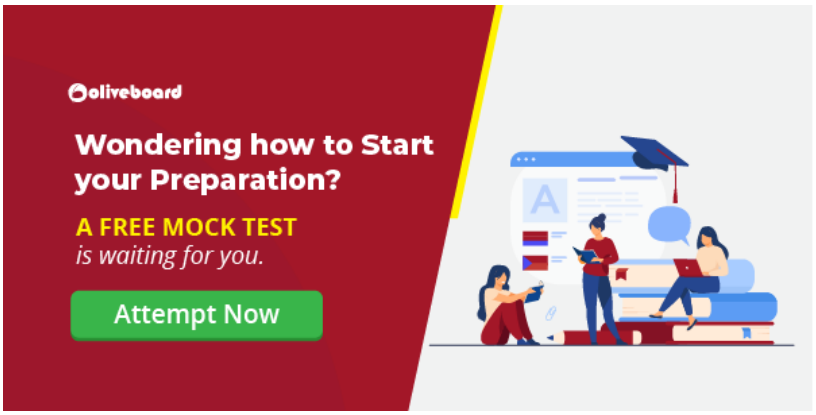

भारतीय संविधान – मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग III में संविधान के अनुसार भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है।

भाग III को विभिन्न विद्वानों द्वारा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान की आधारशिला कहा गया है।

भाग III के साथ भाग IV (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है।

आइए एसएससी सीपीओ पाठ्यक्रम के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न मौलिक अधिकारों पर एक नजर डालते हैं।

मौलिक अधिकारों को 7 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- **अनुच्छेद 14 (विधिक समता)** - किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समता के अपवाद हैं, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोक सेवक, न्यायाधीश, विदेशी राजनयिक, आदि, वे विशेष विशेषाधिकार, उन्मुक्ति और सुरक्षा का लाभ उठाते हैं।

- **अनुच्छेद 15 (भेदभाव का प्रतिषेध)** - राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के नागरिक होने पर महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।

- **अनुच्छेद 17 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता)** - किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के तहत किसी भी कार्यालय या नियुक्ति द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद यह है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों के लिए आरक्षण दे सकता है, या विशेष धर्मों के उम्मीदवारों के लिए राज्य के तहत किसी भी धार्मिक पद की नियुक्ति कर सकता है।

- **अनुच्छेद 18 (उपाधियों का उन्मूलन)** - राज्य सैन्य या शैक्षिक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति (नागरिक या विदेशी) को कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधियाँ नहीं हैं।

2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

· **अनुच्छेद 19 (कुछ अधिकारों का संरक्षण)** - नागरिकों के पास उचित प्रतिबंधों के साथ निम्नलिखित अधिकार होंगे

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना।

संघ या यूनियन गठित करना ।

भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना।
किसी भी पेश के रूप में कार्य करना या कोई व्यवसाय, व्यापार आदि को चलाना।

- **अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण)** - यह एक आरोपी व्यक्ति (नागरिक या विदेशी) को अत्यधिक और मनमानी सजा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 3 प्रावधान हैं - कोई कार्योत्तर विधि नहीं, कोई दोहरे दंड नहीं और कोई आत्म-अपराध नहीं।

- **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)** - किसी भी व्यक्ति (नागरिक या विदेशी) को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।

- **अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार)** - इसे 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य निर्धारित कर सकता है।

अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण) - यह लोगों के अधिकारों के बारे में बात करता है जब उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है।

3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध) - यह मानव तस्करी, भिखारी (जबरन श्रम) और इसी तरह के किसी भी अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 24 (बाल श्रम का निषेध) - यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधि जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में कार्य करने में रोक लगाता है। लेकिन यह किसी भी हानिरहित कार्य में उनके कार्य करने पर रोक नहीं लगाता है।
4)धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
अनुच्छेद 25 (विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र स्वीकरण, प्राथना/अभ्यास और प्रचार करना) - यह कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकारी हैं, अपनी आस्था और विशवास को मानने उसका प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता) - यह कानून द्वारा परिभाषित सभी धार्मिक संगठनों और संप्रदायों को विशिष्ट अधिकार देकर धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 27 (किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति) - यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 28 (धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता) - किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पूरी तरह से राज्य के धन से कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 - 30)
अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण) - यह प्रावधान बताता है कि भारत के किसी भी

हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति हो सकती है, परन्तु इसके बाबजूद उसके पास भी संरक्षण का अधिकार है ।

अनुच्छेद 30 (शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार) - यह अल्पसंख्यक समूहों को राज्य के हस्तक्षेप या भेदभाव के बिना अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना और प्रशासन की अनुमति देता है।

6) संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32 (अधिकार या संवैधानिक उपचार) - (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) निषेध (iv) प्रमाणपत्र और (v) यथा वारंट सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार .

डॉ अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था।

भारतीय संविधान -: अनुसूचियां

अनुसूची	भाग	सूची
पहली अनुसूची	पहला भाग	भारतीय राज्यों की सूची
	दूसरा भाग	केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
दूसरी अनुसूची	भाग - क	राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के संबंध में प्रावधान
	भाग - ख	निरसित
	भाग - ग	लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति और उपसभापति और विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संबंध में प्रावधान
	भाग - घ	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में प्रावधान ।
	भाग - ई	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संबंध में प्रावधान
तीसरी अनुसूची		विभिन्न संवैधानिक और अन्य पदों और कार्यालयों की शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप
चौथी अनुसूची		भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन
पांचवीं अनुसूची		अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान ।

<table>
<tr><td>छठी अनुसूची</td><td></td><td colspan="3">असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">सातवीं अनुसूची</td><td>पहली सूची</td><td colspan="3">संघ सूची</td></tr>
<tr><td>दूसरी सूची</td><td colspan="3">राज्य सूची</td></tr>
<tr><td>तीसरी सूची</td><td colspan="3">समवर्ती सूची</td></tr>
<tr><td rowspan="10">आठवीं अनुसूची</td><td rowspan="10"></td><td colspan="3">22 भाषाओं की सूची -</td></tr>
<tr><td>1. असमिया</td><td>2. बंगाली</td><td>3. गुजराती</td></tr>
<tr><td>4. हिंदी</td><td>5. कन्नड़</td><td>6. कश्मीरी</td></tr>
<tr><td>7. मलयालम</td><td>8. मराठी</td><td>9. उड़िया</td></tr>
<tr><td>10. पंजाबी</td><td>11. संस्कृत</td><td>12. तमिल</td></tr>
<tr><td>13. तेलुगु</td><td>14. उर्दू</td><td>15. सिंधी</td></tr>
<tr><td>16. कोंकणी</td><td>17. मणिपुरी</td><td>18. नेपाली</td></tr>
<tr><td>19. संथाली</td><td>20. बोडो</td><td>21. मैथिली</td></tr>
<tr><td>22. डोगरी</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">प्रारंभ में, केवल 14 भाषाएँ थीं, लेकिन 21वें संशोधन (1967) के बाद सिंधी को जोड़ा गया; 71वें संशोधन (1992) के बाद, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया; और 92वें संशोधन (2003) के बाद संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया।</td></tr>
<tr><td>नौवीं अनुसूची</td><td>1951 में 1 संशोधन किया गया</td><td colspan="3">भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग (संपत्ति का अधिकार, ना की मौलिक अधिकार) से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>दसवीं अनुसूची</td><td>1985 में 52वां संशोधन किया गया</td><td colspan="3">दलबदल के आधार पर निरर्हता के प्रावधान - दलबदल विरोधी कानून</td></tr>
<tr><td>ग्यारहवीं अनुसूची</td><td>1992 में 73 वां संशोधन किया गया</td><td colspan="3">पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और दायित्व</td></tr>
<tr><td>बारहवीं अनुसूची</td><td>1992 में 74 वां संशोधन किया गया</td><td colspan="3">नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व।</td></tr>
</table>

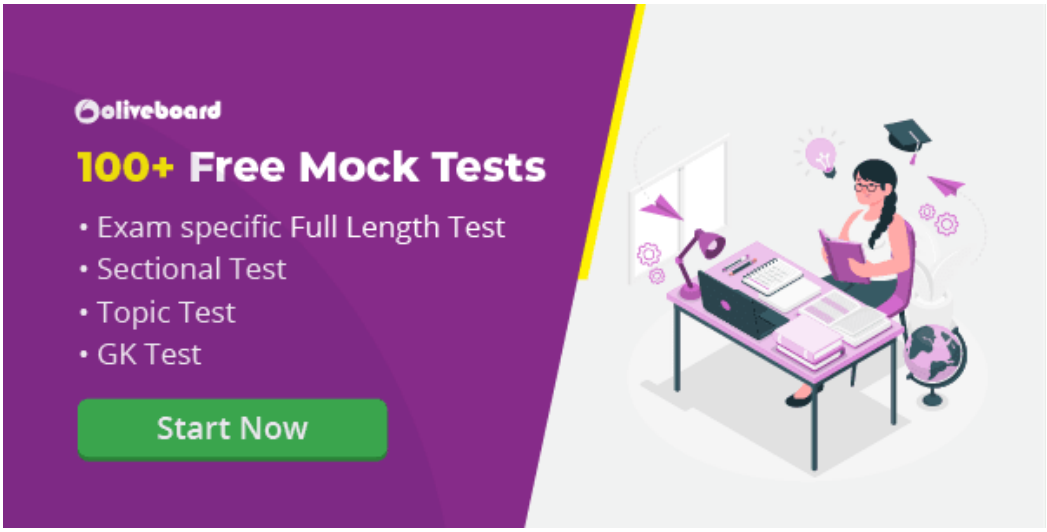

FREE Ebooks

Download Now

Current Affairs

Explore Now

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

Web

APP

BLOG

Your one-stop destination for all exam related information & preparation resources.

Explore Now

FORUM

Interact with peers & experts, exchange scores & improve your preparation.

Explore Now